

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: **UPFS/2025/162567/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/33723/JD**
दिनांक:**21-06-2025**
प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MAYFAIRSKY ESTATES PVT LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO H-06 SECTOR 97 NOIDA,PLOT NO H-06 SECTOR 97 NOIDA,Noida** तहसील - **Noida** प्लाट एरिया **23570.92 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **178135.495** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **5** जिसमें

ब्लॉक/टॉवर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
COMMERCIAL Retail	7	3	29.690 mt.
Comercial Service Suites tower	37	3	140.10 mt.
RESIDENTIALTower A	37	3	140.10 mt.
RESICENTIAL Tower B1	37	3	140.10 mt.
RESIDENTIAL Tower B2	37	3	140.10 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **MAYFAIRSKY ESTATES PVT LTD** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Assembly** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **MAYFAIRSKY ESTATES PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्निशमन अधिकारी /मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार सम्बन्धित सक्षम सत्ता प्राधिकारी को यह प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त भवन के अध्यासन/ प्रयोग से पूर्व समस्त अग्निशमन व्यवस्थाएं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 तद्धधीन नियमावली-2024 NBC-2016 के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य है, यदि भवन स्वामी द्वारा बिना व्यवस्थाओ के अध्यासन किया जाता है, तो भवन के असुरक्षित अध्यासन हेतु सत्ता प्राधिकारी निगरानी रखे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Vivek Kumar Sharma)

[3131C40B7F6C3D0288C915191F43E615B7C776D4]

08-07-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **08-07-2025**
स्थान : **LUCKNOW**



भारतीय
प्रौद्योगिकी
संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



INDIAN
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, IIT (BHU), VARANASI-221005

Mob.: Tel : 9453788219: Email: rkumar.civ@iitbhu.ac.in

Ref. No. CE/RK/SNT/2025-26/903

Date: 26.05.2025

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Subject: Endorsement of Structural drawing & Design of “PROPOSED MIX LAND USE DEVELOPMENT” at Plot no. H-06, Sector 97, NOIDA for M/s MAYFAIRSKY ESTATES PRIVATE LIMITED.

This is to certify herewith that the Structural drawing and design for Proposed Mix Land Use Development at Plot No. H-06, Sector 97, Noida, Plot Area - 23570.92 sq.mt. for **M/s MAYFAIRSKY ESTATES PRIVATE LIMITED.** is in progress and shall be verified to be in compliance with all relevant Indian Standards using the analysis and design data provided by the Structural consultant of the building, **M/s Engineering Design and Research Pvt. Ltd., Office No. TS-1722, Hope Tower, Galaxy Blue Sapphire Plaza, Plot No. C-03, Sector 4, Greater Noida-201301.**

Review of the submitted analysis calculations shows that the stipulated combinations of gravity load and other relevant loads have been considered and are duly incorporated in the both the analysis and design of the building. Following review of the submitted analysis and design calculations observations were made for compliance by the structural consultant and upon confirmation of this compliance the updated analysis and design stands approved. Signed copies of the submission drawings of the proposed building are attached to this letter, the details of building areas are annexed with this letter.

The opinion contained in this letter is professional opinion of the undersigned and should not be considered as the opinion of I.I.T. BHU.

The scope of this certificate is limited only to the structural design of the above-mentioned building and the undersigned assumes no responsibility for compliance with local, state or national building bye-laws or with any other legal requirements or of safety aspects during construction or of overall quality of construction of the said building. Any deviation from the approved layout, design and intended occupancy of the proposed building invalidates this certificate.

PROFESSOR
Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology
Banaras Hindu University
Varanasi-221005

ASSISTANT PROFESSOR
Department of Architecture,
Planning and Design
Indian Institute of Technology
Banaras Hindu University
Varanasi-221005



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

SAFD/NORTH/B/030425/1610684

खुशआई | भार. एच. क्यू | एमआर/एलीएन/एनओसी/2025/295/956-59

मालिक का नाम एवं पता MAYFAIRSKY ESTATES PRIVATE LIMITED दिनांक/DATE: 18-03-2025
OWNERS Name & Address 41st Floor, Tower 1, M3M IFC, Golf Course Road, Sector-66, Gurugram - 201101, Haryana वैधता/ Valid Up to: 17-03-2033

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी) No Objection Certificate for Height Clearance

1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2). इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	SAFD/NORTH/B/030425/1610684
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Satya Pal Singh
स्थल का पता / Site Address*	Mixed Land Use Project at Plot No. H-6, Sector-97, NOIDA- 201303, Uttar Pradesh, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	28 32 14.17N 77 21 11.28E, 28 32 16.65N 77 21 13.23E, 28 32 09.80N 77 21 16.42E, 28 32 09.32N 77 21 17.13E, 28 32 12.58N 77 21 19.75E
स्थल की ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	199.34 M
अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	399.34 M

* जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant*

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है:-

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही की जायगी।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994",

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी। अर्थात्, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।

d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

च) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, के सैक्शन 9-A तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा एयरक्राफ्ट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन है।

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

छ) कोई भी रेडियो/ टीवी एन्टीना, लाइटनिंग अरेस्टर, सीढ़िया, मुम्टी, पानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्नक उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए।

f. No radio/TV Antenna, lightening arresters, staircase, Mumty, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

SAFD/NORTH/B/030425/1610684

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुएं का खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।

g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

झ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है, तथा उक्त प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से अधिकतम बारह साल की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue & shall be extended for a maximum period of twelve years from the date of its issue.

ट) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटो का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ भ्रम उत्पन्न हो। विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी।

i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

ठ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरुद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा।

j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

ड) डे मार्किंग तथा सहायक विद्युत आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रृंखला 'बी' पार्ट 1 सैक्शन-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।

k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in

ढ) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/ दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

ण) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी का मूल्यांकन I.G.I Airport, Meerut, NIAJEWAR, Rohini Heliport, Safdarjung Airport, Sikandrabad विमानक्षेत्रों के संबंध में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रों और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रों, जो जी. एस. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग- I), अनुसूची- IV (भाग -2; केवल RCS हवाई अड्डे) और अनुसूची- VII में सूचीबद्ध हैं, के लिए जारी किया गया है।
m. This NOC ID has been assessed with respect to the I.G.I Airport, Meerut, NIAJEWAR, Rohini Heliport, Safdarjung Airport, Sikandrabad Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule - III, Schedule - IV (Part-I), Schedule- IV (Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR 770(E)



त) यदि स्थल रक्षा विमान के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि जीएसआर 751 (ई) की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विमान से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के लिये, जो जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची-IV (भाग-2; आरसीएस हवाई अड्डों के अलावा) के रूप में सूचीबद्ध बिना लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।

n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule - V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E).

ध) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की किसी भी शर्त/व्याख्या की स्थिति में अंगरेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

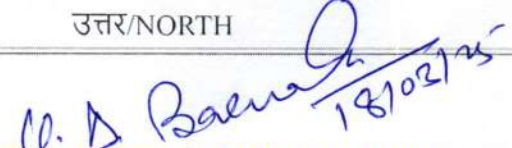
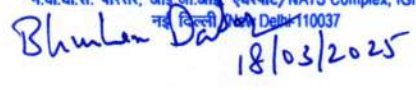
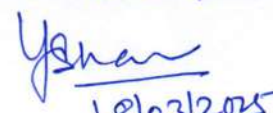
o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

द) स्थल की ऊँचाई और/या संरचना की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुमत्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल में ही मान्य होगी।

p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in AMSL shall prevail.

क्षेत्र का नाम / Region Name:

उत्तर/NORTH

पदनामित अधिकारी/Designated Officer	 उत्पल दत्ता बरुआ/UTPAL DUTTA BARUAH महाप्रबन्धक (एटीएम)/General Manager (ATM) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India क्षेत्रीय मुख्यालय (उ. क्षेत्र)/Regional Headquarters(NR) न.वा.वा.से. परिसर, आई.जी.आई. एयरपोर्ट/NATS Complex, IGI Airport नई दिल्ली/NEW Delhi-110037
नाम/ पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign with date	
द्वारा तैयार Prepared by	 BHUSHAN DABAS, MGR(ATM) 18/03/2025
द्वारा जांचा गया Verified by	 Yashwant Shrivastava Jt-GM(ATM) 18/03/2025

ईमेल आईडी / EMAIL ID : noc_nr@aai.aero

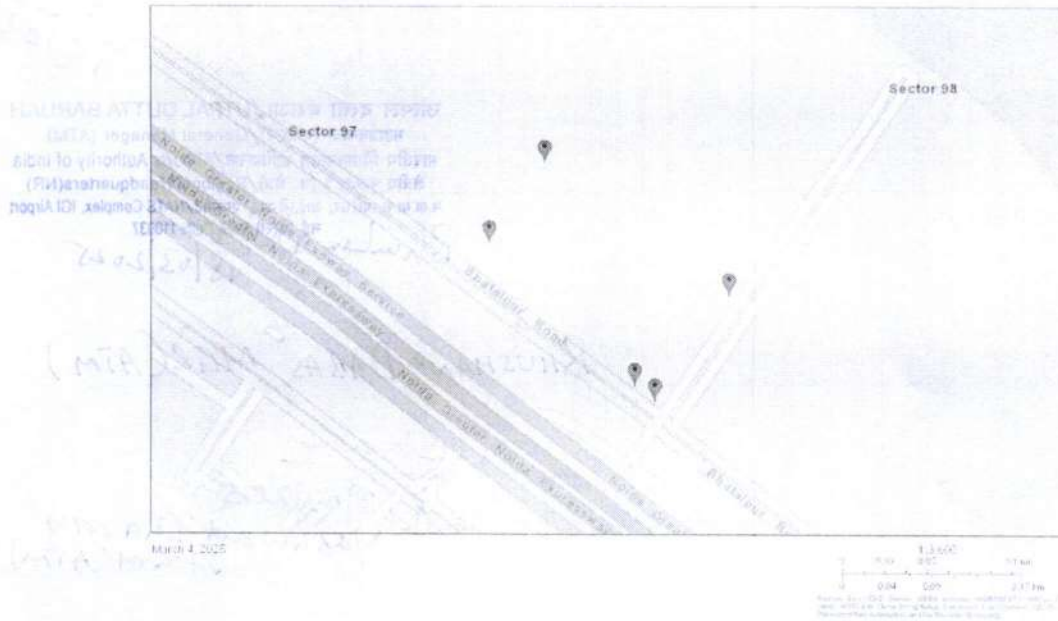
फोन/ Ph: 011-25653551

ANNEXURE/अनुलग्नक

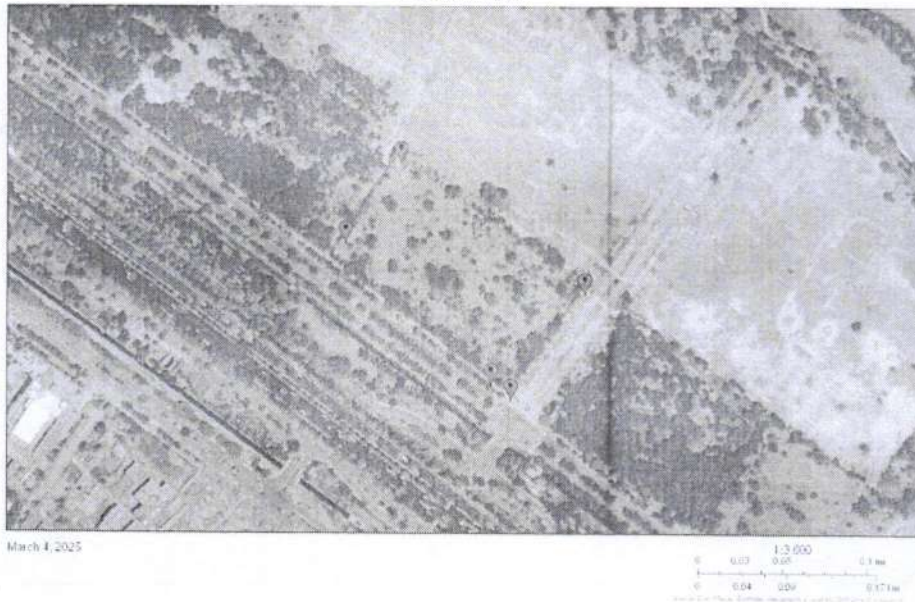
Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर मे)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री)
I.G.I Airport	23842.05	97.34
Meerut	51511.35	216.39
NIAJEWAR	46944.99	327.12
Rohini Heliport	37374.79	128.35
Safdarjung Airport	15252.7	109.02
Sikandrabad	38037.63	293.49
NOCID	SAFD/NORTH/B/030425/1610684	

Street View



Satellite View





GREEN RATING FOR INTEGRATED HABITAT ASSESSMENT

(Joint initiative of MNRE, Govt. of India and TERI)

Mixed Land Use Project at Plot No. H-06, Sector 97, Noida

Being Developed by M/s Mayfairsky Estates Pvt. Ltd.

has been awarded with a



GRIHA Pre-Certification

Date of Issue: 17th April 2025

Note : Pre-certification has been awarded, based on the initial documents submitted by the project team.

Vice President & CEO
GRIHA Council